# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0 :– नये 96/2024, पुराने 100/2017
निर्णय दिनांक :– 24.10.2024
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

आम जनता चौरू जरिये हित प्रतिनिधि–
1. शंकर लाल पुत्र रामू
2. सीताराम पुत्र रामदेव
3. छोटू पुत्र रामू
4. बद्री पुत्र भूरा
5. जवाहर लाल पुत्र रामू
6. रामोतार पुत्र कालू
   समस्त जाति जाट निवासी चौरू तहसील फागी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत चौरू जरिये सरपंच/सचिव पं0 स0 फागी जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री भोजराज सिंह राजावत वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती किये जाने तरमीम आबादी

निर्णय दिनांक :– 24.10.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चौरू में आम जनता के रहवास हेतु वर्ष 1993 में चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 2893/1 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा मे से 5 बीघा भूमि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा सेट अपाट की जाकर उक्त 5 बीघा की प्रस्तावित तरमीम लेकर गैर मु० आबादी कायम की गई जिसकी खसरा नम्बर 4361/2893 रकबा 05 बीघा गैर मु० आबादी वाकै ग्राम चौरू दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। ग्रामवासी चौरू अपने आवश्यकता होने से उक्त खसरा नम्बर चारागाह भूमि में बसावट कर रह रहे थे। जिनके स्थाई रहवास हेतु उक्त चारागाह भूमि उक्त आबादी सेट अपाट की जाकर आबादी भूमि कायम की गई। जिसकी तरमीम मुताबिक प्रस्तावित तरमीम के नहीं की गई जबकि आम जनता चौरू व प्रार्थीगण उक्त आबादी भूमि में बसावट रहवास के मकान पशु व चारा रखने के बाडे पूर्व से ही बनाकर रह रहे है। एवं वर्तमान में भी मौके पर प्रतावित तरमीम अनुसार काबिज है। प्रस्तावित तरमीम मूल खसरा नम्बर 2893/1 चारागाह मे से जो खसरा नम्बर 4363/2893 चारागाह नम्बर है के पूर्वी कोण के समानान्तरण लगवा रास्ते के लगवा खसरा नम्बर 4361/2893 आबादी की तरमीम की जानी चाहिये थी परन्तु राजस्व कार कानूनगो ने बिना मौका देखे एवं बिना प्रस्तावित तरमीम की ओर ध्यान न देकर उक्त आबादी भूमि की वर्तमान

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

नक्शा लटठा में प्रस्तावित तरमीम से हटकर तरमीम कर दी जबकि मौके पर बसावट आम जनता व प्रार्थीगण प्रस्तावित तरमीम के अनुसार कर रखी है। राजस्व कार कानूनगो की उक्त त्रुटि के कारण प्रार्थीगण की बसावट चारागाह भूमि में हो गई है। जबकि उक्त आबादी भूमि सेट अपाट मौके पर बसावट के अनुसार की गई थी। उक्त त्रुटि के कारण आम जनता व प्रार्थीगण को भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। आबादी भूमि श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा आम जनता के आवश्यकताओ एवं रहवास के कारण होने वाली समस्या के निदान हेतु उक्त आबादी भूमि सेट अपाट कर प्रस्तावित तरमीम तैयार कर उसी मुताबिक तरमीम नक्शा लटठा मे की जानी चाहिये थी। परन्तु राजस्व कार कानूनगो द्वारा प्रस्तावित तरमीम के विपरित जाकर तरमीम कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को हाल ही में होने पर तरमीम मुताबिक प्रस्तावित तरमीम करने का हल्का पटवारी से निवेदन किया तो उन्होने तहसीलदार फागी के समक्ष चारा जोही करने की कही जिस पर तहसीलदार फागी ने श्रीमान द्वारा आदेश लाने की कहने से यह तरमीम दुरूस्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रस्तावित तरमीम अनुसार तरमीम नही होने से आम जनता व प्रार्थीगण की बसावट व रहवास के मकान बाडे दो भागो में विभाजित हो गये है। जो कुछ भाग चारागाह भूमि मे व कुछ भाग स्कुल के नाम आवण्टित भूमि 4364/2893 में कब्जा जाहिर होता है। जिससे आम जनता व प्रार्थीगण व स्कुल विकास मे समस्या उत्पन्न हो रही है। मुताबिक प्रस्तावित तरमीम के तरमीम दुरूस्त किये जाने से किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नही पडेगा बल्कि समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा प्रार्थीगण के साथ आम जनता स्कुल विकास एवं चारागाह से अतिक्रमण मुक्त स्वतः ही दुरुस्त हो जावेगा एवं किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव तरमीम दुरूस्त किये जाने से नही पडेगा। प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे मे बरंग नीला प्रस्तावित तरमीम दर्शित की गई है जिसकी चौडाई कम की जाकर खसरा नम्बर 4363/2893 के पूर्वी कोण की ओर बडाकर खसरा नम्बर 4364/2893 के दक्षिण हिस्से को कम कर उक्त प्रस्तावित तरमीम दर्शित की है। जो नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र अभिन्न भाग है। प्रार्थीगण आम जनता की हैसियत से बतौर हितप्रतिनिधि उक्त प्रार्थना पत्र दुरूस्त किये जाने तरमीम पेश कर रहे है जिसमे अन्य पक्षकार आम जनता हैसियत बनने को स्वतंत्र है। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर एवं मुकदमें हाजा में पारित होने वाले आदेशो की पालना करने में सक्षम अधिकारी होने के कारण इन्हें मुकदमें हाजा में पक्षकार कायम किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी व पक्षकारान का निवास स्थान श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई व निस्तारण का अधिकार श्रीमान को बखुबी प्राप्त है।

प्रार्थना माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.08.2023

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू

मे इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 को निरस्त किये जाने पर प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार हाजिर अदालत आये तथा पूर्व मे प्रस्तुत जबाब को अपना जवाब होना जाहिर किया तथा अपने जबाब मे बताया की जो प्रस्तावित तरमीम भिजवाई गई थी तरमीम उसके अनुरूप ही किया जाता है तो जो बने हुए मकान व आबादी में आते है अगर लाल स्याही ही रहती है तो कुछ मकान ख0न0 4363 / 2893 किस्म चारागाह में चले जाऐगे जो कि मामला दुरूस्ती का बनता है।

अप्रार्थी सं0 2 की तलवी जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक तहसीलदार फागी रिपोर्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 4361 / 2893 वाके ग्राम चौरू दक्षिण मे स्थिति आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मुताबिक तहसीलदार फागी रिपोर्ट तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को सरे इजलास सुनाया जाता है

24/X/24

(राकेश कुमार मी)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला–दूदू

सत्यमेव जयते